न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादीगण
रामपाल पुत्र टोडूराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी	ना म	टोडूराम पुत्र शिवबक्स वगैरह जाति कुमावत निवासीगण कुचामनसिटी

राजस्व वाद = बाबत खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 R.T.Act 1955

वाद–पत्र नम्बर 158 /2022 GCMS No.2022/318

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.09.2022	वकील वादी द्वारा यह राजस्व वाद बाबत खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण में गोविन्द पुत्र गंगाराम कुमावत आसपुरा की ओर से उनके अधिवक्ता श्री अनिल कुमावत कुचामनसिटी द्वारा केवियट प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 148 ए सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर रखा है। संबंधित जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनॉक 20.09.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) 20/9/2022 वकील वादी तथा प्रतिवादी वकीलो अनिल कुमार तथा नवाब खाँ हाजिर हुए जवाब दावा हेतु तलबी दिये की तामीली जारी हो पत्रावली दिनांक 20/10/2022 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) 28/10/2022 पत्रावली पेश हुई / आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य / अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 28/10/2022 को पेश हो। 12/11/2022 वकील वादी के [illegible] प्रस्तुत करने पर पत्रावली अन्य [illegible] पर [illegible] दिया [illegible] कार्यवाही [illegible] पत्रावली [illegible] होकर [illegible] होकर [illegible] है उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:51 IST
Reason: SelfAttested